

जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), प्रतापगढ।  
पत्रांक: 920 / जि०नि०का०(प०एवंन०नि०) / न०नि०सा०नि० / सी०सी०टी०वी० कैमरा / 2017 दि०-24/10/17

**कोटेशन सूचना**  
नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 सम्पन्न कराने हेतु अति संवेदनशील+मतदान केन्द्रों तथा समस्त मतगणना केन्द्रों के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सी०सी०टी०वी० कैमरा लगवाया जाना है। अतः सम्बन्धित फर्मों को सूचित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु अपनी दरें/कोटेशन दिनांक-30.10.17 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। दरें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय), प्रतापगढ को होगा।

अपर जिलाधिकारी (भू०/रा०) /  
प्रभारी अधिकारी,  
जिला निर्वाचन कार्यालय  
(पंचायत एवं नगरीय निकाय),  
प्रतापगढ।

पत्रांक व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-कोटेशन सूचना निम्नलिखित नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

- 1-जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय), कलेक्ट्रेट, प्रतापगढ।
- 2-अपर जिलाधिकारी (भू०/रा०)/प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), कलेक्ट्रेट, प्रतापगढ।
- 3-जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), कलेक्ट्रेट, प्रतापगढ।
- 4-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रतापगढ को इस आशय के साथ कि इसे एन०आई०सी० की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी (भू०/रा०) /  
प्रभारी अधिकारी,  
जिला निर्वाचन कार्यालय  
(पंचायत एवं नगरीय निकाय),  
प्रतापगढ।  
24/10/17

**जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), प्रतापगढ़।**

पत्रांक: 7/9 / जि0नि0का0(पि0एवंन0नि0) / न0नि0सा0नि0 / दु0म0 / 2017 दि0-24/10/17

**कोटेशन सूचना**

नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 सम्पन्न कराने हेतु मतापत्रों, स्टील बाक्सों, मतपेटिकाओं एवं विभिन्न प्रकार की निर्वाचन सामग्री वाहन से उतारवाने, लदवाने तथा अन्य कार्यों के लिए मजदूरों एवं पल्लेदारों की आवश्यकता है। अतः सम्बन्धित ठेकेदारों/फर्मों को सूचित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु अपनी दरें/कोटेशन निम्न विवरण के अनुसार दिनांक-20.10.17 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। दरें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय), प्रतापगढ़ को होगा।

गोदाम/निर्धारित स्थल से वाहन में चढ़ाने या वाहन से उतार कर गोदाम/निर्धारित स्थल तक पहुँचाने हेतु-

1-खाली मतपेटिकाओं हेतु दर-

2-खाली स्टील बाक्स हेतु दर-

3-भरे स्टील बाक्स हेतु दर-

4-दैनिक मजदूरी हेतु दर-

दरें स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय), प्रतापगढ़ को होगा। दरें स्वीकृत हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को रू0-1000.00 की एफ0डी0 जमानत के रूप में जमा करनी होगी।

अपर जिलाधिकारी (भू0/रा0)/  
प्रभारी अधिकारी,  
जिला निर्वाचन कार्यालय  
(पंचायत एवं नगरीय निकाय),  
प्रतापगढ़।

पत्रांक व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-कोटेशन सूचना निम्नलिखित नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

1-जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय), कलेक्ट्रेट, प्रतापगढ़।

2-अपर जिलाधिकारी (भू0/रा0)/प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), कलेक्ट्रेट, प्रतापगढ़।

3-जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), कलेक्ट्रेट, प्रतापगढ़।

4-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रतापगढ़ को इस आशय के साथ कि इसे एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी (भू0/रा0)/  
प्रभारी अधिकारी,  
जिला निर्वाचन कार्यालय  
(पंचायत एवं नगरीय निकाय),  
प्रतापगढ़।